रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 487] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 21, 1971/भाद्र 30, 1893
No. 487] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 21, 1971/BHADRA 30, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 21st September 1971

S.O. 3547. 15/IDRA/71.—Whereas the Central Government is of the opinion that there has been a substantial fall in the production in respect of cotton textile manufactured in the industrial undertaking known as M/s. Krishna Kumar Mills Ltd., Mahuva (Gujarat), for which having regard to the economic conditions prevailing, there is no justification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of—

Chairman

(1) Shri S. D. Mehta, Shree Ram Mills Ltd., Ferguson Road, Bombay-13.

Members

(2) Shri P. V. Seshadri, Technical Adviser (Spinning) National Textile Corporation Ltd., New Delhi.

(3) Shri F. C. Dhaun, Director (Finance), National Textile Corporation Ltd., New Delhi.

(4) Shri Jamnadas Shah, Managing Director, Gujarat State Textile Corporation, Handloom House, Ashram Road, Ahmedabad.

(5) Shri A. R. Khare, Senior Accounts Officer, Office of the Regional Director, Company Law Board, 100, Marine Drive, Bombay.

Member-secretary

(6) Shri V. N. Moralwar, Director, Regional Office of the Textile Commissioner, Elysium Mansion, Walton Road, Bombay.

[No. 9(24)/Lic. Pol./71.]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 1971

का० आ० 3547/15 आई० डी० आर० ए०/71.—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि मैसर्स कृष्ण कुमार मिल्स लि0, महुवा (गुजरात) नामक औद्योगिक उपक्रम में निर्मित सूती वस्त्रों के सम्बन्ध में उत्पादन के परिणाम में भारी गिरावट हुई है जिसके लिए, विद्यमान आर्थिक स्थितियों को देखते हुए, कोई औचित्य नहीं है ।

अतः अब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मामले की परिस्थितियों की समग्र तथा पूर्ण जांच करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित व्यक्तियों के एक निकाय की एतद्द्वारा नियुक्ति करती है :—

(1)	श्री एस० डी० मेहता श्री राम मिल्स लि० फर्गूसन रोड (बम्बई–13)	अध्यक्ष
(2)	श्री पी० वी० शेषाद्रि तकनीकी सलाहकार (स्पिनिंग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि०, नई दिल्ली ।	सदस्य
(3)	श्री एफ० सी० धान, निदेशक (वित्त) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि०, नई दिल्ली ।	सदस्य
(4)	श्री जमनादास शाह प्रबन्ध निदेशक, गुजरात राज्य वस्त्र निगम, हैन्डलूम हाउस, आश्रम रोड, अहमदाबाद ।	सदस्य
(5)	श्री ए० आर० खरे वरिष्ठ लेखा-अधिकारी क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय, कम्पनी विधि बोर्ड 100, मैरीन ड्राइव, बम्बई ।	सदस्य
(6)	श्री वी० एन० मोरलवार निदेशक, वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय, एलाइसियम मैन्शन, वाल्लटन रोड, बम्बई 1	सदस्य-सचिव

[सं० 9(24)/लाइ० पोलि/71]

एम० के० सहगल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER F PUBLICATIONS, DELHI. 1971